रजिस्टर्ड

प्रेषक,

आयुक्त,

लखनऊ मण्डल,

लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या/सं0शि0नि0/ 5035-40 /2011-12 दिनांक 26.7.2011

विषयः लखनऊ पब्लिक स्कूल, नवीन चौक, सीतापुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित करना है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-नियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

Principal
Lucknow Public School
Naveen Chouk-Sitapur

Director ... School
Luck...
Naveen Chowk Sitapur

Manager
Lucknow Public School
Naveen Chowk Sitapur

8. [illegible] याचिका संख्या 462/2004 [illegible] प्रति यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक [illegible] द्वारा, [illegible] [illegible] किया जाय [illegible] मानकों के अनुरूप है एवं [illegible] [illegible] स्टाफ [illegible] [illegible] है।

9. उपरोक्त शर्तों में शासन/परिषद [illegible] पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

10. उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त [illegible] वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त
[illegible]

पृष्ठांकन संख्या/ 5035-40 /2016-17 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. विशेष सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश, शासन।
2. शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, [illegible]
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबन्धक, लखनऊ पब्लिक स्कूल, नवीन चौक, सीतापुर।
6. गार्ड फाइल।

(के० के० गुप्ता)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
[illegible]

Principal
Luck[illegible] [illegible]ic School
[illegible]

Director
Luck[illegible] [illegible]c School
Nave[illegible] [illegible]k Sitapur

[illegible]nager
Luckn[illegible] [illegible]lic School
Naveen Chowk [illegible]apur